राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27( ) ग्राविवि–5/PMAY-G/जांच भरतपुर/2020–21 **जयपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020**

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन बाबत।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत जीयो टैगिंग/स्वीकृति/किश्त हस्तानान्तरण का कार्य तत्काल प्रभाव से जिला परिषद के अनुमोदन उपरान्त पंचायत समिति स्तर से किये जाने बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के कियान्वयन के कम में वर्तमान में पंचायत समिति स्तर से जीयो टेगिंग के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृति /भुगतान जारी किये जाने के प्रावधान है। वर्तमान में यह कार्य ग्राम पंचायत /पंचायत समिति स्तर के कार्मिक द्वारा की गई की जीयो टैगिंग व दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उक्त प्रावधान में तत्काल प्रभाव से संशोधन कर विकास अधिकारी, पंचायत समिति के प्रस्ताव के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के द्वारा जीयो टेगिंग व दस्तावेजों के अनुमोदन उपरान्त पंचायत समिति स्तर से स्वीकृति /भुगतान जारी करने का प्रावधान लागू किया जाता है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अतर्गत जीयो टैगिग/स्वीकृति /भुगतान जारी किये जाने का कार्य आवाससॉफ्ट के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है, के कारण आवास सॉफ्ट पर उक्त प्रावधान होने तक इस कार्य हेतु दस्तावेज / पत्रावली पंचायत समिति कार्यालय से जिला परिषद को प्रेषित कर अनुमोदन उपरान्त ही स्वीकृति /किश्त हस्तान्तरण कार्य सम्पादित किया जावे।
3. वर्ष 2019–20 व 2020–21 में स्वीकृत/प्रगतिरत/पूर्ण आवासो के भौतिक सत्यापन करवाये जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर शेष कार्यवाही सम्पादित कर शासन को पालना रिपोर्ट प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।

16/12/20

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. उप महा निदेशक (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
7. परियोजना निदेशक (मो.एवं मू.) ग्रामीण विकास को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. उप निदेशक, जन सम्पर्क कृत्य सम्पादक राजस्थान विकास।
10. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क , महात्मा गांधी नरेगा योजना।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि